



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01122023-250354
CG-DL-E-01122023-250354

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4890]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 30, 2023/अग्रहायण 9, 1945

No. 4890]

NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 30, 2023/AGRAHAYANA 9, 1945

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 नवम्बर, 2023

सं. 46/2023

विषय: राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड (एनसीईएल) के माध्यम से खाद्य वस्तुओं का निर्यात।

का.आ. 5115(अ).—विदेश व्यापार नीति, 2023 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित, यथा संशोधित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 (वर्ष 1992 की संख्या 22) की धारा 5 के साथ पठित धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड (एनसीईएल) के माध्यम से निम्नलिखित खाद्य वस्तुओं का निर्यात अनुमत किया जाता है:—

देश का नाम	वस्तुएं	मात्रा
भूटान	गेहूं का अनाज	14,184 मीट्रिक टन
	गेहूं का आटा	5326 मीट्रिक टन
	मैदा/सूजी	15,226 मीट्रिक टन

	टूटा हुआ चावल	48,804 मीट्रिक टन
माली	टूटा हुआ चावल	1 लाख मीट्रिक टन
सेनेगल	टूटा हुआ चावल	5 लाख मीट्रिक टन छह माह के समय में
गाम्बिया	टूटा हुआ चावल	50,000 मीट्रिक टन छह माह के समय में
इंडोनेशिया	टूटा हुआ चावल	2 लाख मीट्रिक टन

2. इस अधिसूचना के परिणामस्वरूप, ट्रेड नोटिस सं. 08/2023 दिनांक 20.06.2023, ट्रेड नोटिस सं. 17/2023 दिनांक 28.07.2023 और ट्रेड नोटिस सं. 18/2023 दिनांक 28.07.2023 को एतद्वारा रद्द किया जाता है।

अधिसूचना का प्रभाव:

राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड (एनसीईएल) के माध्यम से उपर्युक्त-उल्लिखित खाद्य वस्तुओं के निर्यात की अनुमति दी गई है। यह अधिसूचना ट्रेड नोटिस सं. 08/2023 दिनांक 20.06.2023, ट्रेड नोटिस सं. 17/2023 दिनांक 28.07.2023 और ट्रेड नोटिस सं. 18/2023 दिनांक 28.07.2023 को रद्द करती है।

[फा. सं. 01/91/171/35/एएम-20/ई-फाइल/पार्ट-2/ई-35458]

संतोष कुमार सारंगी, महानिदेशक विदेश व्यापार पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th November, 2023

No. 46/2023

Subject: Export of food commodities through National Cooperative Exports Limited (NCEL).

S.O. 5115(E).—In exercise of powers conferred by Section 3 read with section 5 of the Foreign Trade (Development & Regulation) Act, 1992 (No. 22 of 1992), as amended, read with Para 1.02 and 2.01 of the Foreign Trade Policy, 2023, export of following food commodities are permitted through National Cooperative Exports Limited (NCEL) : -

Country Name	Commodity	Quantity
Bhutan	Wheat Grain	14,184 MT
	Wheat Flour (Atta)	5326 MT
	Maida/Semolina	15,226 MT
	Broken Rice	48,804 MT
Mali	Broken Rice	1 Lakh MT
Senegal	Broken Rice	5 Lakh MT in six months' time
Gambia	Broken Rice	50,000 MT in six months' time
Indonesia	Broken Rice	2 Lakh MT

2. Consequent to this Notification, Trade Notice No. 08/2023 dated 20.06.2023, Trade Notice No. 17/2023 dated 28.07.2023 and Trade Notice No. 18/2023 dated 28.07.2023 are hereby rescinded.

Effect of the Notification:

Export of above-mentioned food commodities are permitted through National Cooperative Exports Limited (NCEL). This Notification rescinds Trade Notice No. 08/2023 dated 20.06.2023, Trade Notice No. 17/2023 dated 28.07.2023 and Trade Notice No. 18/2023 dated 28.07.2023.

[F. No. 01/91/171/35/AM20/E-file/Part-2/E-35458]

SANTOSH KUMAR SARANGI, Director General of Foreign Trade Ex-Officio Addl. Secy.